न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2950/2026

CNR:–**UPSP010069792026**

1. जुनैद पुत्र मुमताज
2. अनस पुत्र जहीर

निवासीगण ग्राम खेड़ा मेवात, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर।

..... **प्रार्थी/अभियुक्तगण।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **विपक्षी।**

मु०अ०सं०–200/2026
धारा–137(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–चिलकाना, जिला–सहारनपुर।

30.07.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **जुनैद व अनस** द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अबरार पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी ग्राम खेडा मेवात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर का निवासी है। प्रार्थी की पुत्री अलीना 14 वर्षीय दिनांक 16.06.2026 को शाम 07.30 बजे अकेली दुकान पर सामान लेने गयी थी, जब काफी देर तक वापस नहीं आयी तो हम लोगो ने खोज बीन शुरू की तो सुग्गन की लड़की इरम ने बताया कि जुनैद पुत्र मुमताज निवासी खेडामेवात, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर मेरी बेटी को बहला–फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है, इस काम में अनस पुत्र जहीद निवासी खेडा मेवात का भी हाथ है। मेरी बेटी को बरामद कराने की कृपा। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण को गांव को रंजिश के कारण झूठा नामजद अभियुक्तगण बनाया गया है। घटना दिनांक 16.06.2026 की है जिसकी रिपोर्ट दो दिन बाद थाने पर दर्ज है विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण ने वादी अबरार की पुत्री को बहला–फुसलाकर भगाकर नहीं ले गये हैं। पीड़िता अलीना के बयान से पत्रावली पर प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। वादी अबरार व उसके पुत्र बिलाल, जब्बार आपराधिक व दबंग व्यक्ति है। जिन पर यू.पी. व हरियाणा में गौ हत्या व चोरी आदि के काफी मुकदमे दर्ज है जिनको कई बार पुलिस उठाकर ले गये हैं। बिलाल थाना चिलकाना का हिस्ट्री शीटर है वादी व उसके लड़को को प्रार्थी जुनैद पर पुलिस को मुखपरी करने का शक था तथा प्रार्थी अनस के पिता जहीर का कुछ समय पूर्व पैसों के लेन–देन वादी अबरार से कहासुनी हुई थी इसी रंजिश के कारण झूठे कथनों पर प्रार्थीगण के विरूद्ध लिखवायी है। प्रार्थीगण घटना के दिन गांव में मौजूद नहीं थे जिसकी तस्दीक गांव में मौजूद लोगो से व मोबाइल लोकेशन से की जा सकती है।

प्रार्थीगण नव युवक है प्रार्थीगण के भविष्य को बर्बाद करने की नीयत से तथा प्रार्थीगण की छवि खराब करने की नियत से झूठा मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण को थाना चिलकाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का अन्देशा है। प्रार्थीगण जमानत के बाद विवेचना में सहयोग करेंगे। प्रार्थगीण का आपराधिक इतिहास नहीं है न ही पूर्व सजायाफ्ता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये गये हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

थाना से प्राप्त केस डायरी समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादिया मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर/प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा–137(2) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत हुई।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण पर अभियोग है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया की पुत्री पीड़िता का व्यपहरण/अपहरण किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन की ओर से पीड़िता की उम्र 16 वर्ष है।पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया कि दिनांक 16.06.2026 को मेरे अब्बा व मेरे भाई जब्बार ने मुझे काम नहीं करने के कारण बहुत सुनाया व डाटा फटकारा जिससे नाराज होकर मैं उसी दिन शाम के करीब 07–08 बजे अपने घर वालो को बिना बताया अपने घर से निकल गयी। दो दिन तक मैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड के आस–पास ही रही तथा आज दिनांक 18.06.2026 को जब मैं अपने अब्बा व भाई की शिकायत करने यहां थाने आयी तो मुझे पता चला कि मेरे अब्बा ने मेरे घर से चले जाने के सम्बन्ध में थाने में मुकदमा लिखवा रखा है। एवं बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया कि दिनांक 16.06.2026 को रात्रि 08 बजे घर से चली गयी थी। मैं अकेले गयी थी, किसी के साथ नहीं गयी थी। मैं पापा व भाई की डाट से नाराज होकर घर से गयी थी। मैं भाग कर सहारनपुर आयी थी, व बस स्टैन्ड के आस–पास ही रह रही थी। दो दिन बाद मैं खुद से वापस आ गयी थी। मुझे समझ आया कि ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, मैं किसी के साथ नहीं गयी थी। जिनके नाम लिये गये है वो निर्दोष है घर के झगड़े के कारण पापा ने नाम लिखा दिया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रस्तुत मामला सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **Satendra Kumar Antil vs CBI and others 2023 LL (SC) 233** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> It is the duty of public prosecutor also to plead correct legal position before the Court as officers of the Court. We would like to clarify that what we have enunciated qua bail would equally apply to anticipatory bail cases. Anticipatory bail after all is one of the species of a bail.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्था में पारित किये गये आदेश के अनुपालन में तथा मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **जुनैद व अनस** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सशर्त स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि आवेदक **अंकन 50,000/– रू०** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि का एक प्रतिभू, सम्बन्धित थानाध्यक्ष की संस्तुति के अनुरूप अन्दर **15 दिन** प्रस्तुत करने पर, पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यदि सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल की जाती है, तो उस समय तक के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. आवेदक/अभियुक्त पुलिस जांच अधिकारी/विवेचक द्वारा अपेक्षा किये जाने पर पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध करायेगा और अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अपराध से सम्बन्धित तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित विवेचक आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–30.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम
सहारनपुर।
(J.O. Code– UP3845)